[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या **04/**2022-सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 24 जनवरी, 2022

सा.का.नि. (अ). जहाँ कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "ट्रेलर्स के एक्सल" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के शीर्षक 8716 के अंतर्गत आता है, के आयात पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 54/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 29 नवंबर, 2016, जिसे सा.का.नि. 1101(अ), दिनांक 29 नवंबर, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-।।, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को आगे जारी रखने के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना सं. 7/7/2021-डीजीटीआर, दिनांक 19 अप्रैल, 2021, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया था;

और जहां कि विनिर्दिष्ट प्राधिकारी चीन जनवादी गणराज्य में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित 'टेलर्स के एक्सल' के आयात पर लगे प्रतिपाटन शुल्क के 'सर्कमवेंशन' के मामले में अधिसूचना संख्या 04/11/2020-डीजीटीआर, दिनांक 15 सितम्बर, 2020, जिसे दिनांक 15 सितम्बर, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड 1, में प्रकाशित किया गया था, के तहत यह निर्धारित करने के लिए जांच कार्य शुरू किया था कि क्या चीन जनवादी गणराज्य में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित 'टेलर्स के एक्सल' के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 54/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 29 नवम्बर, 2016, जिसे सा.का.नि. 1101 (अ), दिनांक 29 नवम्बर, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से भारत को निर्यातित "टेलर्स के एक्सल, जो कि पूर्णतया नॉक डाउन या सेमी नॉक डाउन स्थिति में हो", जो कि उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ शीर्षक 8716 90 10 के अंतर्गत आता है के आयात पर भी लगाया जाना जरूरी है और फिर उन्होंने अपने अंतिम निष्कर्षों में, जिसे अधिसूचना संख्या 04/11/2020-डीजीटीआर, दिनांक 14 सितम्बर, 2021, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था के तहत यह सिफारिश की थी कि चीन जनवादी गणराज्य में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित 'टेलर्स के एक्सेल' के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 54/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 29 नवम्बर, 2016, जिसे सा.का.नि. 1101 (अ), दिनांक 29 नवम्बर, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड

(i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत लगाए गए वर्तमान प्रतिपाटन शुल्क को विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित टेलर्स के एक्सल, जो कि पूर्णतया नॉक डाउन या सेमी नॉक डाउन की स्थिति में हो, पर भी लगाया जाना जरूरी है ।

और जहां कि विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर, केन्द्र सरकार चीन जनवादी गणराज्य में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित 'टेलर्स के एक्सल जो कि पूर्णतया नॉक डाउन या सेमी नॉक डाउन की स्थिति में हो' के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 69/2021-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 13 दिसम्बर, 2021, जिसे सा.का.नि. 584 (अ), दिनांक 13 दिसम्बर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत प्रतिपाटन शुल्क लगाया था और यह प्रतिपाटन शुल्क 13 दिसम्बर, 2021 से लागू होना था और इसे उपर्युक्त अधिसूचना संख्या 54/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 29 नवम्बर, 2016, जिसे सा.का.नि. 1101 (अ), दिनांक 29 नवम्बर, 2016 के तहत प्रकाशित किया गया था, के तहत "टेलर्स के एक्सल" पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क के सहअवसानिक होना था ।

और जहां कि विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा करने के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 7/7/2021-डीजीटीआर, दिनांक 27 अक्टूबर, 2021, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में, अन्य बातों के अलावा, इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि:-

(i) इस तथ्य को देखते हुए कि प्रतिपाटन शुल्क के लगाए जाने के बाद भी फालतू आयात जारी रहा है और शुल्क से बचने के लिए सक्रमवेंशन जैसे तरीके अपनाए जा रहे हैं, इस बात की प्रबल संभावना बनती है कि यदि वर्तमान प्रतिपाटन शुल्क को वापस ले लिया जाता है तो ऐसे आयात की दर में बेतहाशा वृद्धि हो सकती है;

(ii) कि इस स्तर पर यदि इस शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो ऐसे फालतू आयात के जारी रहने/पुन: होने तथा घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना बनी रहेगी;

और उन्होंने विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित इस विषयगत वस्तु के आयात पर लगे प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की है ।

अत: अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18, और 23 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 54/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 29 नवंबर, 2016, जिसे सा.का.नि. 1101(अ), दिनांक 29 नवंबर, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-।।, खंड-3, उप खंड (**i**) में प्रकाशित किया गया था, का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा करने से लोप की गई बातों को छोड़ते हुए, केन्द्र सरकार, उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतदद्वारा, उक्त विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम

(3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आता है, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलत: उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और भारत में आयातित है पर उस दर से जो कि कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर है, कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथाः-

क्र. सं.	**टैरिफ मद**	**वस्तु का विवरण**	**मूलत: उत्पादन का देश**	**निर्यातक देश**	**उत्पादक**	**राशि**	**माप इकाई**	**मुद्रा**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	8716 90 10	*टेलर्स के एक्सल	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	गुआंग्डोंग FUWA इंजीनियरिंग मेन्युफेक्चरिंग कं, लिमिटेड	0.16	कि.ग्रा.	अमेरिकी डॉलर
2	8716 90 10	*टेलर्स के एक्सल	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	क्रम संख्या 1 में उल्लिखित से भिन्न कोई भी उत्पादक	0.31	कि.ग्रा.	अमेरिकी डॉलर
3	8716 90 10	*टेलर्स के एक्सल	चीन जनवादी गणराज्य से भिन्न अन्य कोई भी देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी उत्पादक	0.31	कि.ग्रा.	अमेरिकी डॉलर

*इसमें शामिल हैं - "टेलर्स के एक्सल, जो कि सेमी नॉक डाउन/पूर्णतया नॉक डाउन की स्थिति में हो" अर्थात जो अनअसेम्बल्ड, अनफिनिश्ड या अपूर्ण रूप में हो,

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इसके पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसको आस्थगित नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो) लागू रहेगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा ।

स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और

इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ।

[फाइल संख्या सीबीआईसी- 190354/15/2022-टीआरयू अनुभाग-सीबीईसी]

(जैनेंद्र सिंह कंधारी)

उप सचिव, भारत सरकार